

वृद्धावस्था की समस्या एवं समाधान (भारतीय समाज के संदर्भ में)

सारांश

वर्तमान समय में पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत वृद्धजनों से संबंधित समस्या एक अहं समस्या है। इसका कारण है कि वृद्धावस्था आयु के आधार पर बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, यहाँ प्राचीन समय से ही वृद्धजनों को परिवार में अत्यधिक सम्मानित स्थान देने तथा वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाने के लिये अनेक व्यवस्थायें बनायी गईं। इनमें संयुक्त परिवार व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। आधुनिकता और विकास की इस होड़ में संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, परिवारों को टूटने से रोकना मुश्किल है और संयुक्त परिवार का पुराना ढाँचा विकसित करना भी कठिन है। परंतु युवा पीढ़ी का विकास की राह में आगे तेज गति से बढ़ना और वृद्धजनों की स्थिरता के मध्य जो एक खाई निर्मित होती जा रही है उसे कम करने से वृद्धजनों की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिये परिवार, समाज, संगठन, सरकार और अत में कानून में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे वृद्धाश्रमों का निर्माण, किया जाना चाहिये जहाँ निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक, और मानसिक सहारा मिल सके। मनोरंजन, चिकित्सा, छोटे मोटे कार्य जो वृद्धों के द्वारा संपन्न किये जा सके। वहाँ होने चाहिये। यह बात महत्वपूर्ण है कि विश्व के दूसरे समाजों की तुलना में भारतीय परिवार आज भी कहीं अधिक संगठित और व्यवस्थित हैं अतः कानून का उपयोग किये बिना ही वृद्धावस्था को एक सम्मान पूर्ण स्थान देकर हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को और भी अधिक सुखद और सुंदर बना सकते हैं।

मुख्य शब्द : वृद्धजन, जीविकोपार्जन, नगरीकरण, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, वृद्धाश्रम, सरकार, योजनाएँ

प्रस्तावना

वर्तमान समय में पारिवारिक समस्याओं के अंतर्गत वृद्धजनों से संबंधित समस्या एक अहं समस्या है। इसका कारण है कि वृद्धावस्था आयु के आधार पर बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है अपने संचित अनुभवों के कारण वृद्ध पीढ़ी से ही समाज के दूसरे सभी वर्गों को ऐसे दिशा निर्देश मिलते हैं जो किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिये आवश्यक होते हैं जहाँ तक भारतीय समाज का प्रश्न है, यहाँ प्राचीन समय से ही वृद्धजनों को परिवार में अत्यधिक सम्मानित स्थान देने तथा वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाने के लिये अनेक व्यवस्थायें बनायी गईं। इनमें संयुक्त परिवार व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी जिसमें परिवार के समस्त निर्णयों का अधिकार वृद्धों के पास रहता था। परिवार के सभी सदस्यों द्वारा वृद्धों के निर्णयों का सम्मानपूर्वक पालन किया जाता था। इस व्यवस्था ने वृद्ध पीढ़ी को आर्थिक और मानसिक सुरक्षा देने में भी उपयोगी भूमिका निभायी।

वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम व्यक्ति के दायित्व इस तरह निर्धारित किये गये जिसमें वृद्धजन मानसिक तनावों से दूर रहकर समाज को अपने उपयोगी अनुभव से लाभान्वित कर सके और स्वयं भी अपना आध्यात्मिक विकास कर सके। ग्रामीण जीवन में भी ग्राम पंचायत प्रणाली विकसित की गई जिसका संचालन गांव के वृद्ध लोगों द्वारा ही किया जाता था। स्पष्ट है भारतीय समाज में प्राचीन समय से ही वृद्धजनों को सम्माननीय स्थान प्रदान करके गौरव पूर्ण संस्कृति का विकास किया है।

संयुक्त परिवारों का विघटन

प्राचीन समय में संयुक्त परिवार में एवं साथ तीन पीढ़ीयाँ एक छत के नीचे हँसी खुशी जीवन यापन करती थी। समय के साथ—साथ उसमें ऐसे तत्व जुड़ते गये जिससे उसकी उपयोगिता कम होने लगी। व्यापक निरक्षरता और रुढ़िगत व्यवहारों के कारण संयुक्त परिवारों की संरचना दोषपूर्ण बनने लगी और परिवार के सदस्य इसे अनुपयोगी संस्था के रूप में देखने लगे। बींसवी शताब्दी के आरंभ में जब औद्योगिकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि होने लगी तो लोगों को संयुक्त परिवार छोड़कर अपना अलग परिवार बसाने के अवसर मिलना प्रारंभ हो गये। यहाँ से संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा। अब ज्यादा बच्चे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिये पैतृक घरों को छोड़ रहे हैं।

यह विकास की एक प्रक्रिया है स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा, आधुनिक तौर तरीकों से जीवन जीने की इच्छा, जिंदगी के बेहतर अवसरों को प्राप्त करने की लालसा, नयी जगह, स्थान की कमी के कारण वे माता—पिता को साथ नहीं रख पाते हैं। यही से एकांकी परिवार का प्रारंभ एवं वृद्धजनों का एकांकी जीवन एक समस्या का रूप लेने लगता है।

वृद्धावस्था मानव विकास की एक स्वाभाविक व अवस्थयंभावी अवस्था

वृद्धावस्था मानव विकास की एक स्वाभाविक स्थिति है। प्रत्येक बच्चा समय बाद युवा और फिर प्रौढ़ बनकर अंत में वृद्धावस्था के स्तर पर पहुँचता है। वृद्धावस्था में एवं और व्यक्ति की शक्ति और उत्साह में बहुत कमी हो जाती है तो दूसरी ओर मानसिक रूप से वृद्ध लोग अपने आपको अकेला और दूसरों पर निर्भर समझने लगते हैं। जीविकोपार्जन में उनका योगदान कम रह जाने के कारण अधिकांश वृद्धजनों को किसी न किसी तरह के आर्थिक अभावों

का भी सामना करना पड़ता है। पाश्चात्य देशों में वृद्ध माता—पिता न केवल अपने बच्चों द्वारा पूरी तरह परित्यक्त होते हैं बल्कि बीमारी या असमर्थता की दशा में अपना ही जीवन उनके लिये बोझ बन जाता है। आज जैसे—जैसे भौतिकवादी और व्यक्तिवादी मूल्यों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, हमारे समाज में भी अधिकांश लोग वृद्धजनों को परिवार में फालतू वस्तु के रूप में देखने लगे हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था में प्रवेश करते ही व्यक्ति तरह—तरह की चिन्ताओं से धिरने लगता है। बेन्जामिल प्लास का यह कथन सही लगता है — 'वृद्धावस्था भी एक बीमारी की तरह है। यह एक ऐसी बीमारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से लगती है तथा बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इस बीमारी के दुष्प्रभावों से बचे रहते हैं।'

वृद्धजनों की समस्याये

भारतीय समाज में सभी वृद्धों की समस्याये एक जैसी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न आधारों पर वृद्धजनों की पृष्ठभूमि भिन्न—भिन्न होती है। उदाहरण के लिये — वृद्ध स्त्रियों ओर वृद्ध पुरुषों की समस्याओं में भिन्नता होती है। इसी तरह उम्र के अनुसार भी वृद्धों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के आधार पर, आर्थिक आधार पर वृद्धों की समस्याये अलग—अलग होती हैं।

आर्थिक असुरक्षा की भावना वृद्धों में लगातार बढ़ती जाती है अधिकांश वृद्धों के पास आय का स्वतंत्र साधन नहीं होने से यह परिवार पर बोझ बन जाते हैं जिससे उनमें असुरक्षा की भावना अधिक होती है।

इसे अलावा स्वास्थ्य की समस्यायें होती हैं शारीरिक क्षमता के लगातार क्षीण होने से कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। इसी तरह अकेलेपन, पारिवारिक अपेक्षा का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। कुल मिलाकर वृद्धजन अपने आपको सभी तरह से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कई परिवारों में उन्हें प्रताड़ित व अपमानित भी किया जाता है। ये प्रताड़नाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं।

वृद्धजनों की संख्या में लगातार वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में वृद्धों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है न्यूनेक्स के अनुसार 2005 में 60 से अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या 590 मिलियन थी। जो कि 2025 में दोगुनी होने का अनुमान है। पूरे विश्व में युवाओं की अपेक्षा वृद्धों की

Anthology : The Research

संख्या अधिक हो जायेगी। भारत में भी वृद्धों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 2001 की जनगणना में लगभग 8 करोड़ व्यक्ति ऐसे पाये गये जिनकी आयु 60 से 80 वर्ष के बीच थी। अनुमान है कि 2030 में यह संख्या बढ़कर 19.8 करोड़ तक पहुँच जायेगी। एक और जहाँ वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है वही दूसरी और उनकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक समस्यायें भी बढ़ती जा रही हैं।

यही कारण है कि वृद्धों की समस्याओं की ओर समाज एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु राष्ट्र संघ द्वारा भी समाज में वर्ष 1999 को वृद्ध लोगों के लिये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया।

वृद्धावस्था की समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण –

वर्तमान समय में वृद्धों की बढ़ती हुई समस्याओं के पीछे अनेक कारण हैं। एक तरफ युवा पीढ़ी के रोजगार की तलाश में बाहर जाने की वजह से उनमें एवं वृद्धों की सोच में, रहन सहन में, खान-पान में अंतर उत्पन्न हो जाता है और यह अंतर-पीढ़ी संघर्ष में बदल जाता है। दूसरी तरफ पिछली पीढ़ी जो गांवों से आकर शहर में बस गई वह अपनी संतान को उन सभी तकलीफों से महफूज रखना चाहती है जो उसने अपनी जिंदगी में झेली थी तथा अपने अधूरे ख्वाबों को सन्तानों में तलाशना चाहती है। इस अंधी दौड़ में वह अपनी संतान को केवल एक उम्दा नस्ल का का घोड़ा बना देती है लेकिन संस्कार नहीं दे सकी। वह घोड़ा जिंदगी की हर रेस जीतता गया और इतनी दूर निकल गया कि अपने माता-पिता की तस्वीर ही उसके मन में धुंगली हो गई।

हम अपने बच्चों को अमेरिकी बनाना चाहते हैं, अंग्रेजी शिक्षा, कमाऊ, नौकरी, ऊँचा रुतबा आलिशान घर, ऐशो आराम का हर सामान लेकिन इस दौड़ में उसे संस्कार देना भूल गये और फिर उम्मीद करते हैं कि वही बच्चे बड़े होकर सुबह आपको प्रणाम करें, रात में आपके पैर दबाये, आपकी देखभाल करें। सोचने की बात है कि क्या इन बच्चों के लिये यह संभव है? अंग्रेजी शिक्षा में उन्हें अमरीकी बना दिया लेकिन हम अमरीकी नहीं बन जाये।

सरकार द्वारा वृद्धजनों की सुविधा के लिये किये जा रहे प्रयास

निसदेह वृद्धजनों की स्थिति चिन्ताजनक हैं। परन्तु समाज एवं सरकार सभी का ध्यान इस समस्या

की ओर आकृष्ट हो चुका है। सरकार द्वारा अनेक सुविधायें वृद्धजनों को प्रदान की जा रही हैं –

1. **वृद्धावस्था गृह** – निराश्रित वृद्धजनों के लिये ऐसे गृह बनाये गये हैं जिसमें वृद्ध कितनी भी अवधि तक रह सकते हैं।
2. **वृद्धजन देख-रेख केन्द्र** – ऐसे केन्द्र सुबह से शाम तक अपना समय व्यतीत कर सकते हैं उन्हें दोनों समय का भोजन भी दिया जाता है।
3. **सचल चिकित्सकीय सेवाये** – वृद्धजनों को चिकित्सकीय सुविधायेंद दी जाती है।
4. **गैर संस्थात्मक सेवाये** – इसके अंतर्गत वृद्धों को कानूनी परामर्श, पेंशन प्राप्त करने में सहायता, ने परीक्षण, चश्मों का वितरण, कान में लगाने के यंत्रों की सुविधा इत्यादि सेवायेंद दी जाती है।
5. **वृद्धावस्था पेंशन योजना** – लगभग सभी राज्यों में यह योजना आरम्भ की गई है।
6. **अन्नपूर्णा योजना** – इस योजना में नगरों एवं गांवों में 10 किलो अनाज दिया जाता है।
7. **बैंकिंग सुविधा** – सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 0.75 प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जाता है।
8. **आयकर में छूट** – जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है उन्हें आयकर में विशेष छूट दी जाती है।
9. **रेल्वे की सुविधा** – भारतीय रेल्वे द्वारा भी 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को रेल किराये में 30 प्रतिशत छूट दी जाती है। महिलाओं के लिये यह सुविधा 50 प्रतिशत है।
10. **देश के डाकघरों में 2004 से वरिष्ठ नागरिक योजना प्रारंभ की गई है।** इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जमा राशि पर 9 प्रतिशत सुविधा 50 प्रतिशत है।
11. **राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथपरिवहन निगम की बसों में किराये में वृद्धों को रियायत दी जाती है।**

वृद्धों की सहायता हेतु कानून की भूमिका

वृद्धजनों की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए डंपदजंदमदबम 'दक मुसतिम व' चमतमदजे 'दक 'मदपवत ब्यजप्रमद' बज 2007 केन्द्रीय केबिनेट द्वारा यह कानून पारित किया गया है इस कानून में यह है कि वृद्धजनों के सामान्य जीवन व्यतीत करने की कानूनी जिम्मेदारी उनके बच्चों एवं

रिश्तेदारों पर है। बच्चों को अपने माता-पिता को भत्ता भी देना होगा। जो अपने माता-पिता की देख-रेख नहीं करें उन्हें सजा भी हो सकती है। अतः प्रताड़ित वृद्धजनइ से कानून का सहारा ले सकते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

यह स्पष्ट है कि भारत में वृद्धजनों की समस्याओं के समाधान के लिये समाज एवं सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा कानून भी पारित किया गया है। परन्तु फिर भी वृद्धों के साथ अभद्र व्यवहार एवं अवमानना के मामले रोज ही सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ नागरिक सेल के केवल सिंह मानते हैं – कि वृद्ध माता-पिता के लिये अपने बच्चों के खिलाफ ही शिकायत करना काफी मुश्किल होता है। जब वे अपने बच्चों के खिलाफ कानून का सहारा लेते हैं तो परिवार से पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस तरह के मामलों में हमेशा कानून और भावनाओं के बीच द्वन्द्व चलता रहता है। भारत में कानून बनाने से समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं इसके लिये समय रहते ही अपने बच्चों को मानवीय व्यवहार की सीख देनी होगी। घर के बड़े बूढ़ों को आदर सम्मान देना होगा, छोटे बड़े सभी के साथ स्नेह का व्यवहार करना होगा अन्यथा पहला मौका लगते ही वे माता-पिता से छुटकारा पाना चाहेंगे। अमेरिका या शिक्षा का इसमें दोष नहीं है। प्यार और सम्मान समर्पण, जंयम, सहनशीलता पर आधारित नये परिवार बनाने होंगे।

आधुनिकता और विकास की इस होड़ में संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, परिवारों को टुटने से रोकना मुश्किल है और संयुक्त परिवार का पुराना ढाँचा विकसित करना भी कठिन है। परन्तु युवा पीढ़ी का विकास की राह में आगे तेज गति से बढ़ना और वृद्धजनों की स्थिरता के मध्य जो एक खाई निर्मित होती जा रही है उसे कम करने से वृद्धजनों की

समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए परिवार, समाज, संगठन, सरकार और अंत में कानून सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। वृद्धजनों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण देना अत्यंत जरूरी है। हेलपेज इण्डिया के मैथु चैरियन – ‘तीस साल पहले जब हेलपेज इण्डिया ने वृद्धा आश्रम तैयार किये थे तब लोगों ने कहा, ये तो पश्चिमी तरीका है। लेकिन आज हर कोई मान रहा है ये पश्चिमी तरीका नहीं, हकीकत है।’

ऐसे वृद्धाश्रमों का निर्माण, किया जाना चाहिये जहाँ निराश्रित वृद्धजनों को आर्थिक, और मानसिक सहारा मिल सके। मनोरंजन, चिकित्सा, छोटे मोटे कार्य जो वृद्धों के द्वारा संपन्न हो सके। वहाँ होने चाहिये। यह बात महत्वपूर्ण है कि विश्व के दूसरे समाजों की तुलना में भारतीय परिवार आज भी कहीं अधिक संगठित और व्यवस्थित है। अतः कानून का उपयोग किये बिना ही वृद्धावस्था को एक सम्मान पूर्ण स्थान देकर हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को और भी अधिक सुखद और सुंदर बना सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बसंतीलाल बावेलपारिवारिक विधि दि लायर्स होम इंदौर
2. भारत के समाजकार्य भारत के समाजकार्य कैलाश पुस्तक सदर
3. रामचंद्र तिवारी *Current issues in social Sciences* कॉमल वेल्पलिशर्स 2008 दिल्ली।
4. डॉ. मंजुलता भारतीय सामाजिक समस्यायें अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस 2012
5. डॉ. संजव महाजन सामाजिक समस्याये अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस 2012
6. जी.के. अग्रवाल सामाजिक समस्याएं एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाऊस 2010
7. नई दुनिया 24 नवम्बर, 2014